

UPGK010023912026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1013/2026

राहुल वर्मा पुत्र जगरनाथ प्रसाद उम्र 24 वर्ष, निवासी-पथरकट रोड, थाना-तिवारीपुर,
जनपद-गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०-34/2026

धारा-303(2),317(2) B.N.S

थाना-तिवारीपुर, जिला-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त राहुल वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1013/2026 मु०अ०सं०-34/2026 अंतर्गत धारा-303(2),317(2) B.N.S थाना-तिवारीपुर, जिला-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता रजत कुमार वर्मा के द्वारा शपथ पत्र इस आशय कि प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके आलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है।
2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शिवेन्द्र यादव अवर अभियंता द्वारा दिनांक 07.03.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 06.03.2026 को समय लगभग 8:30 बजे 33/11 के०बी० उपकेन्द्र सुरजकुण्ड के पोषित 11 के०बी० ओवरब्रिज फीडर के अंतर्गत 400 के०बी० डोमखाना के पास स्थापित 400 के०बी०ए० के ट्रान्सफार्मर से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ और चोरी की सूचना एक उपभोक्ता द्वारा पावर हाउस पर दिया गया। सूचना प्राप्त होते ही जब विद्युत विभाग के कर्मचारी तुरन्त मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रान्सफार्मर के टेलियूनिट से कापर स्टड एवं वसवार खुले हुए थे। जांच करने पर पाया गया तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति को छति पहुंचाते हुए किसी कीमती कापर के पुर्जे चोरी कर लिए गये हैं।
3. दौरान बहस आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा न तो चोरी की गयी है और न उसके पास से किसी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। बरामदशुदा सामानों की शिनाख्त वादी मुकदमा से नहीं करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त का मामला सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर

ट्रान्सफार्मर में छेड़छाड़ करते हुए कीमती कापर के पुर्जे चोरी कर लिए गये हैं। चोरी हुए कापर के पुर्जों को आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर ट्रान्सफार्मर में छेड़छाड़ करते हुए कीमती कापर के पुर्जे चोरी किये जाने का अभियोग लगाया गया है। फर्द बरामदगी के परिशीलन से स्पष्ट है कि मुखबिर की सूचना पर आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्त आरिश जहीर को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 2 पिलास, 2 रिंच, 10 पीस सी आकार के भारी हुक/क्लम्प पीतल, 9 नग बोल्ट लोहे का व 06 अदद एल आकार की पट्टी पीतल की बरामद किये जाने का कथन किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय है तथा 7 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय हैं। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। फर्द बरामदगी के सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में प्रभावित किये जाने की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त राहुल वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1013/2026 मु०अ०सं०-34/2026 अंतर्गत धारा-303(2),317(2) B.N.S थाना-तिवारीपुर, जिला-गोरखपुर को मु० 50,000/- (पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगा।

2. विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचार में विलंब कारित नहीं करेगा।

3. विचारण के दौरान साक्षियों के उपस्थित होने पर आवेदक/अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को विलंबित नहीं करेगा।

4. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक-18.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

J.O. Code-UP6318